



दिल्ली सरकार  
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,  
12वां तल, बहु-मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली: 110002  
☎ 23490260, 23724560, 23311293 फ़ैक्स 23319021  
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093  
वेबसाइट: <http://pwd.delhigovt.nic.in>  
ई-मेल: [pwdhqdelhi@gmail.com](mailto:pwdhqdelhi@gmail.com)/[dppwdhqdelhi@gmail.com](mailto:dppwdhqdelhi@gmail.com)



संख्या:इ-इन-सी/पी/यूनियन/2016 /2009(CH)


दिनांक 26.04.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कामगारों की समस्याओं पर बैठक का आयोजन ।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्कर्स यूनियन के अनुरोध पर लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तैनात कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रमुख अभियंता कार्यालय में दिनांक 30.04.2019 को प्रातः 11-30 बजे बैठक/मीटिंग का आयोजन होना निश्चित हुआ है। बैठक की कार्यसूची/एजेन्डा संलग्न दिया गया है ।

आपसे अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करें ।

  
(संजीव माथुर)  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

1. प्रधान मुख्य अभियंता(अनु.), लोनिवि, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य अभियंता(परि.), लोनिवि, नई दिल्ली ।
3. मुख्य अभियंता(साउथ)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।
4. मुख्य अभियंता(ईस्ट)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।
5. मुख्य अभियंता(नार्थ)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।
6. मुख्य अभियंता(परि.)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।
7. मुख्य अभियंता(फलाईओवर)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।
8. मुख्य अभियंता(स्वास्थ्य)अनु. लोनिवि, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता के निजी सचिव ।
2. निदेशक(कार्मिक), प्रमुख अभियंता कार्यालय ।
3. उप निदेशक(स्थापना), प्रमुख अभियंता कार्यालय ।
4. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख अभियंता कार्यालय ।
5. रीजनल सचिव, सी.पी.डब्ल्यू.डी. वर्कर्स यूनियन, लोनिवि इन्कवारी आफिस, प्रताप खंड, विश्वकर्मा नगर, शाहदरा, दिल्ली-110095 को सूचनार्थ । कृपया 4 पदाधिकारी तक बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

## बैठक का ऐजन्डा

1. समस्त कार्यप्रभारित,दस्ती रसीद एवं अस्थाई दर्जा प्राप्त कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका में निर्माण महानिदेशक के आदेश सं. 22/47/2018 ई.सी.-10 दिनांक 16.10.2018 के अनुसार मस्टर रोल की 50 प्रतिशत सेवा को जोड़ा जाना ।
2. विभाग में कार्यरत समस्त कार्यप्रभारित कर्मचारियों की 25 वर्ष की सेवा पूरी होने के उपरान्त सर्विस वेरीफिकेशन कराया जाना ।
3. उप महानिदेशक(समन्वय)उ.क्षे.के कार्यालय आदेश सं. 10/19/ई-4/सम.पीरि.(वै.)2017 दिनांक 20.06.2012 के अनुसार बाकी कर्मचारियों को ऐन्टीडेटिंग का वित्तीय लाभ दिया जाना ।
4. लोक निर्माण विभाग,उद्यान मंडल(पूर्व)में अस्थाई दर्जे में कार्यरत श्री राजपाल पुत्र श्री रामबक्श (माली) को कार्यप्रभारित अमले में स्थायी किया जाना ।
5. रख-रखाव के कार्यो पर लगाये गये कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत करवाया जाना ।
6. कार्यप्रभारित कर्मचारियों को ड्यूटी पर 8 कि.मी. साईकिल उपयोग करने वाले कर्मचारियों को साईकिल भत्ता दिया जाना ।
7. विभाग में कार्यरत तार मिस्त्रीयों को औजारों के रख-रखाव हेतु औजार भत्ता दिया जाना ।
8. उद्यान मंडल(पूर्व) में श्वास रोग से पीड़ित श्री अन्तराम सुपुत्र श्री खचेडू को दयनीय आधार पर शाहदरा के किसी उप मंडल में स्थानान्तरित किया जाए ।
9. वित्त मंत्रालय के आदेश सं. 7/24/2007/ई-3(ए) दि. 08.10.2018 के अनुसार विभाग में कार्यरत कैजुअल लेबर को वर्ष 2017-18 के बोनस का भुगतान करवाया जाना ।